20/6/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम छापर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 619, 648, 649, 650 व 651 कुल किता 5 कुल रकबा 4.02 हैक्टे. की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम रामनाथ गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रूघनाथ है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार के पिता का नाम रामनाथ गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने पिता का फोटो मतदाता पहचान पत्र, खण्डेला (36) विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 1988, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड का विधुत बिल संबंधी दस्तावेज आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी के पिता का सही नाम रूघनाथ दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं तथा गवाह मांगीलाल पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी रामकुवार की तन छापर का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के पिता के सही नाम की पुष्टि पिता के फोटो मतदाता पहचान पत्र, खण्डेला (36) विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 1988, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड का विधुत बिल संबंधी दस्तावेजात व अन्य दस्तावेज तथा स्वयं तथा गवाह मांगीलाल पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी रामकुवार की तन छापर के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)